विलंबित फाइलिंग को नियमित बनाने के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय की स्वागतयोग्य पहल

व्यापार और उद्योग के लिए अनुपालन को आसान बनाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने भारतीय कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना पेश की है। 24 फरवरी 2026 को जारी जनरल सर्कुलर नंबर 01/2026 के माध्यम से शुरू की गई कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026 (CCFS 2026) उन कंपनियों को राहत प्रदान करती है, जो विलंबित फाइलिंग और लगातार बढ़ते दंड के कारण कानूनी फाइलिंग में कठिनाई का सामना कर रही है।

यह योजना ऐसे मामलों में अनुपालन को नियमित करने के लिए एक रणनीतिक 'एग्जिट रूट' उपलब्ध कराती है, जिससे कंपनियों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होता है।

तीन महीने की अवधि

जिन कंपनियों की वैधानिक फाइलिंग लंबित है, उन्हें यह योजना फाइलिंग पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करती है।

प्रारंभ तिथि : 15 अप्रैल 2026

समाप्ति तिथि : 15 जुलाई 2026

फीस में अतिरिक्त शुल्क पर 90 प्रतिशत तक की भारी कटौती

सीसीएफएस-2026 फाइलिंग को नियमित बनाने के लिए तीन अलग-अलग मार्ग उपलब्ध कराती है। प्रत्येक मार्ग में खर्च में उल्लेखनीय बचत होती है।

सुरक्षा और कानूनी प्रभाव

यह योजना केवल पैसा बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानूनी सुरक्षा और संरक्षण भी प्रदान करती है।

यदि उल्लंघन नोटिस जारी होने से पहले या नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर फाइलिंग कर दी जाती है, तो धारा 92 (वार्षिक रिटर्न) या धारा 137 (वित्तीय विवरण) के तहत उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई मुकदमा शुरू नहीं हुआ हो, तो फॉर्म ADT-1, FC-3, FC-4 तथा 1956 के अधिनियम के पारंपरिक फॉर्म जैसे इतज्ञाण 20B, Form 21A, Form 23AC, Form 23ACA, Form 23AC-XBRL, Form 23ACA-XBRL, Form 66 और Form 23B से संबंधित मामलों में भी भविष्य की कार्रवाई से संभावित सुरक्षा प्रदान की जाती है।

हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद, या न्यायिक नोटिस जारी होने के बाद या दंड का आदेश पारित होने के बाद यह संरक्षण उपलब्ध नहीं रहेगा।

अतिथि लेख
सीएस कौशिक झवेरी
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी

किन कंपनियों को योजना से बाहर रखा गया है

यह योजना सभी कंपनियों पर लागू नहीं होती। कुछ प्रकार की कंपनियों को इससे बाहर रखा गया है, जैसे :

1) जिन कंपनियों को पहले ही धारा 248 के तहत कंपनी रजिस्टर से नाम हटाने की नोटिस मिल चुकी हो।

2) जिन कंपनियों ने योजना की घोषणा से पहले ही अपना नाम हटाने या निष्क्रिय कंपनी का दर्जा लेने के लिए आवेदन कर दिया हो।

3) वे कंपनियां जो विलय के माध्यम से समाप्त हो चुकी हों।

4) वे कंपनियां जो पब्लिक इश्यू के दस्तावेज दाखिल करने या इश्यू के जरिये धन जुटाने के बाद गायब हो गई हों।

पेशेवरों के लिए संदेश: अब कार्रवाई करें

पेशेवरों और निदेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल एक बार मिलने वाला अवसर है। 15 जुलाई 2026 को योजना की अवधि समाप्त होने के बाद कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) को सभी लंबित मामलों में दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा।

संदर्भ के लिए परिपत्र की लिंक :

https£//www.mca.gov.in/bin/dms/getdocument?mds=ZojVoJLpnPM35BP6QFpABA%253D%253D&type=open देखें।

क्र. नं. विकल्प क्रिया / स्वरूप फीस लाभ

1 बकाया फाइलिंग (Pending Statutory Filing) Complete Annual Filings Forms (MGT-7 and MGT-7A, AOC-4, AOC-4 CFS, AOC-4 NBFC (Ind AS), AOC-4 CFS NBFC (Ind AS), and AOC-4 (XBRL) and other statutory forms (ADT-1, FC-3 and FC-4). कुल अतिरिक्त शुल्क और सामान्य शुल्क का केवल 10% ही चुकाना होगा।

2 निष्क्रियता (Dormancy) Apply for 'Dormant Company' status via e-form MSC-1. सामान्य फाइलिंग फीस का केवल 50% ही चुकाना होगा।

3 समापन (Closure) Apply for 'Striking Off' Name of Companies via e-form STK-2. आवेदन फीस का केवल 25% ही चुकाना होगा।